

राज्य में मूल्यांकन संगठन की स्थापना पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 1 अप्रैल 1960 में की गयी। तदन्तर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकासीय योजनाओं/परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य भी इन्हें सौंपा गया। वर्तमान में यह विभाग राज्य योजना प्रक्रिया के अपरिहार्य अंग के रूप में कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा वांछित योजना/परियोजना एवं वर्तमान कार्यक्रमों के विषयों पर मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

कार्य एवं उद्देश्य

राज्य मूल्यांकन संगठन के कार्य एवं उद्देश्य निम्नानुसार है :

- 1 विकासीय कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा उनकी गुणावगुणों पर प्रकाश डालना।
- 2 राज्य की विकासीय प्रक्रियाओं एवं समस्याओं को समझने में भागीदारी निभाना।
- 3 परीवीक्षण एवं समवर्ती मूल्यांकन करना।
- 4 विभिन्न विभागों में गठित मूल्यांकन प्रकोष्ठों को तकनीकी दिशा निर्देश प्रदान करना।
- 5 क्रियाकलापों से सम्बन्धित सेवाएं प्रदत्त करना।
- 6 सम्बन्धित विभागों से मूल्यांकन अध्ययनों की सिफारिशों पर प्रारम्भिक अनुपालना प्राप्त करने की व्यवस्था करना।

स्वीकृत स्टाफ पॉजीशन

विभाग में स्वीकृत कुल 150 पदों में से 31 पद राजपत्रित संवर्ग, 60 पद अधीनस्थ संवर्ग एवं 59 पद मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के स्वीकृत हैं ।

सेवाएं :-

अध्ययन प्रस्ताव/चयन

अध्ययनों के प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिवों, शासन सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं राज्य स्तरीय आयोजना एवं समन्वय समिति के निर्देश पर प्राप्त होते हैं। मूल्यांकन के लिए प्राप्त प्रस्तावों में से योजनाओं का चयन आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर शासन सचिव (आयोजना) के निर्देशानुसार किया जाता है ।

अध्ययन कार्य प्रक्रिया


विभाग द्वारा अध्ययन हेतु चयनित योजना/कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकारी विभाग से प्रथमतः उनके उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आदि संबंधित वांछित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। एकत्रित सूचनाओं के आधार पर मानक तय किये जाते हैं। अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अनुसूचियां तैयार की जाती हैं। उपयुक्त न्यादर्श प्रक्रिया को ध्यान में रखकर ईकाइयों का चयन किया जाता है। इस प्रकार अध्ययन हेतु तैयार की गई कार्य योजना एवं अनुसूचियों का क्षेत्र में पूर्व परीक्षण किया जाता है एवं अंतिमीकरण करने से पूर्व संबंधित विभाग को टिप्पण/सुझाव हेतु भिजवा दी जाती है।

मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन दल को गुणवत्ता पूर्ण क्षेत्र कार्य सम्पन्न करने हेतु क्षेत्र कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस प्रकार यह प्रयास हमेशा बना रहता है कि वैयक्तिक स्तर से एवं समष्टि स्तर तक एवं समस्त राज्य स्तरीय प्रलेखकीय सूचनाओं से लेकर, जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर, ग्राम पंचायत स्तर तक की कुल सूचनाएं एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों से भी साक्षात्कार कर विचार समाविष्ट किये जाते हैं।

मूल्यांकन का क्षेत्रीय कार्य मूल्यांकन टीम अप्रोच के आधार पर संपादित किया जाता है आवश्यकतानुरूप योजना से संबंधित कार्यकारी विभाग का प्रतिनिधि/गैर-सरकारी संस्थान/शोध संस्थान एवं विषय विशेषज्ञों के प्रतिनिधि को भी टीम में शामिल किया जा सकता है ताकि गैर-सरकारी संस्थान एवं शोध संस्थानों के बीच सामंजस्यता बनी रहे।

तदन्तर क्षेत्र कार्य के दौरान प्राप्त भरी हुई अनुसूचियों का सूक्ष्म परीक्षण, संकलन एवं सारणीयन उपरान्त प्रतिवेदन प्रारूप तैयार किया जाता है, योजना से संबंधित कार्यकारी विभाग को टिप्पण हेतु भिजवाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो प्राप्त टिप्पण/सुझावों को शामिल कर प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते हुए राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर विमोचित किया जाता है।



कार्यवाही बिन्दु

प्रारूप प्रतिवेदन पर अनुमोदन प्राप्त होने उपरान्त प्रतिवेदन की एक प्रति कार्यवाही बिन्दुओं के साथ कार्यकारी विभाग को भिजवायी जाती है, ताकि प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों को एक निश्चित समयावधि में क्रियान्वित किया जा सके।

योजना प्रक्रिया के अपरिहार्य अंग के रूप में कार्यरत मूल्यांकन संगठन विभागीय कार्यक्रमों के सृजन एवं क्रियान्वयन में अनुभूत कमियों को दर्शाते हुए शत-प्रतिशत उपलब्धि एवं सफलता प्राप्त करने हेतु प्रक्रियात्मक, सक्रिय एवं प्रभावी उपायों को प्रस्तुत कर प्रगति की राह को सुगम बनाता है। इस प्रकार से मूल्यांकन प्रक्रिया एक मार्गदर्शी के रूप में कारगर कदम है जो राज्य सरकार को विकासीय कार्यक्रमों की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए इनके क्रियान्वयन को सही दिशा देने में सार्थक भूमिका निभाता है।

जनहित में मूल्यांकन

मूल्यांकन अध्ययनों के क्षेत्र कार्य के लिए सात संभाग मुख्यालयों पर सात संभाग मूल्यांकन कार्यालयों का गठन किया गया है। ये ईकाइयाँ राज्य स्तरीय अध्ययनों के क्षेत्र कार्य के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा दिये गये स्थानीय/जिला/संभाग स्तरीय विषयों पर भी अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य सम्पादित करती है।

मुख्यालय के तकनीकी निर्देशन में जिला ईकाइयों एवं वर्ष 2007 के बाद से संभाग स्तरीय ईकाइयों द्वारा मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं। कार्यवाही बिन्दु सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सुधान में उपयोगी रहे हैं। क्षेत्रीय एजेन्सियां जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न संचालित विकासीय कार्यक्रमों में भी सहयोग करती है।

सार-संग्रह का कम्पेडियम तैयार करना

मूल्यांकन प्रतिवेदनों के सम्पादन के अतिरिक्त विभाग द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदनों के निष्कर्षों का संकलन कर एक कम्पेडियम प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार का प्रथम कम्पेडियम अप्रैल 1985 से मार्च 1992 तक विमोचित प्रतिवेदनों के निष्कर्षों का संकलन तैयार किया गया था, द्वितीय कम्पेडियम में वर्ष 1992 से मार्च 1994 तक के 11 प्रतिवेदन के निष्कर्षों का संकलन कर कम्पेडियम तैयार किया गया। इसके बाद इस प्रकार के कम्पेडियम प्रतिवर्ष विमोचित किये जा रहे हैं।

अनुवर्ती कार्यवाही का संकलन तैयार करना

सार-संक्षेप के अतिरिक्त विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही का कम्पेडियम भी तैयार किया जाता है। इस प्रकार का प्रथम कम्पेडियम जिसमें वर्ष 1996-97 से 2000-2001 तक प्रकाशित 20 प्रतिवेदनों के अनुवर्ती कार्यवाही का संकलन था। द्वितीय प्रकाशन वर्ष 2001-2002 में विमोचित 14 प्रतिवेदनों के अनुवर्ती कार्यवाही बिन्दुओं का संकलन कम्पेडियम के बाद इस प्रकार के कम्पेडियम प्रतिवर्ष तैयार किये जा रहे हैं।

अन्य सेवाएं/मूल्यांकन संगठन

मूल्यांकन एवं परीवीक्षण प्रक्रिया हेतु अन्य विभागों जैसे ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, उर्जा विभाग, राज.अनु.जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम में प्रकोष्ठ गठित है।

निदेशालय मूल्यांकन संगठन अन्य विभागों में गैर-सरकारी संगठनों के चयन में, अध्ययन आवंटन में एवं दिशा-निर्देश हेतु अपनी सेवाएं प्रदत्त करता है। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सम्पादित मूल्यांकन अध्ययनों में यदि विभाग आवश्यक समझता है तो तकनीकी सलाह हेतु निदेशक, मूल्यांकन की विषय विशेषज्ञ के रूप में राय लेता है।

आउटपुट बजट एवं आउटकम बजट तैयार करना

विभिन्न विभागों से निर्धारित प्रपत्र में (हिन्दी एवं अंग्रेजी) सूचना एकत्रित कर सूचनाओं का संकलन एवं मिलान उपरान्त आउटपुट बजट एवं आउटकम बजट 2008-2009 से इस विभाग द्वारा तैयार कर आयोजना विभाग के माध्यम से प्रकाशित किया जाकर राजस्थान विधान सभा में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

विभागीय बेवसाईट पर रिपोर्ट/प्रतिवेदन

- अ- प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 से
- ब- मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 से
- स- मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन का सार-संग्रह 2005-2006 से